

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**  
**NETAJI SUBHASH SPORTS COMPLEX**  
**JASOLA VIHAR , NEW DELHI – 110025**

No.F2(46)/NSSC/DDA/Civilwork/2024-25/ 2098

Date :18/05/2024

**Auction Notice No.01/NSSC/DDA/2024-25**

The auction for unserviceable and Scrap Civil/Horticulture/Electrical items of NSSC/DDA, Jasola will be held on as is where basis is on date, time and place shown below. The details of the materials can be inspected at the auction site of Netaji Subhash Sports Complex during office hours on any working day between 11.00 AM to 4.00 PM in the Netaji Subhash Sports Complex premises.

Before start of bid each bidder is required to deposit Rs.10,000/- (Rs. Ten Thousand Only) as earnest money in the form of Cash/Pay Order/Demand Draft of any schedule Bank approved by RBI in favour of “CAU (Sports), DDA” to be submitted Accounts branch in Netaji Subhash Sports Complex, which will be refundable after the auction is completed except for the highest bidder who will have to deposit 25% (P.O. Order/D.D.) of the offered amount after adjusting security deposit of Rs. 10,000/- as precaution money. Balance amount of 75% (including on 100% of the total offered amount) shall be deposited through Bank Draft/Pay Order/Cash in favour of “CAU (Sports), DDA” within 20 days from the date of issue of demand/acceptance Letter or any extension thereof. In case the amount is not deposited within the stipulated period the entire precaution money (25% of the offered amount) deposited by the bidder shall be forfeited absolutely and no claim on this account will be raised by in any forum or court. The bidder shall be informed accordingly.

The Commissioner (Sports), DDA reserves the right to reject any bidder without assigning any reason whatsoever.

**Venue of Auction** : Netaji Subhash Sports Complex, DDA, Jasola, New Delhi – 25  
**Date & Time** : 30 May 2024 at 11.30 A.M.  
**Reserve Price** : Rs.2,11,000/- (excluding GST as applicable)  
**Security Deposit (Refundable)** : Rs. 10,000/-

**Conditions:-**

1. No T&P shall be issued by the Department.
2. The agency will be responsible if any loss/damage/injury/mis-happening caused during the time period of work and removal of item. The agency will lift the items as per orders/instructions of Secretary (NSSC), RE (Civil)/NSSC, AE (Elect) and AD (Hort.).
3. Validity of the Bid shall be 30 days from the date of Auction.
4. For any lapse on the part of the agency, the decision of the Commissioner (Sports) shall be final and binding upon the bidder and shall be called in any question before any forum.
5. The agency/contractor will be liable for any Tax liability.
6. **The GST shall be charged extra as applicable.**
7. Time allowed for lifting the materials shall be 30 days.
8. In case the material is not lifted within the stipulated period the earnest money deposited by the highest bidder shall be forfeited.
9. Mode of payment will either be through DD/Digital payment only in F/O “CAU (SPORTS) DDA”.

**R.E. (Civil)/NSSC/DDA**

**Copy to:-**

1. Commissioner (Sports) DDA: For information please.
2. Sr. A.O/CAU(Sports) -For information please.
3. **Auction Committee Members – RE/NSSC, RE/SSC/DDA, AE(Elect.)/NSSC, AD (Hort.)/NSSC & AAO/NSSC.**
4. Director (System), DDA through e-mail: ddatender@dda.org.in
5. Secretaries of all Sports Complexes with the request to arrange to place the auction notice on the notice board of the complexes.
6. RE/NSSC For ensuring proper display of items on the above mentioned specified date.
7. Notice Board/NSSC.

**R.E. (Civil)/NSSC/DDA**

दिल्ली विकास प्राधिकरण  
नेता जी सुभाष खेल परिसर  
जसोला विहार, नई दिल्ली - 110025

क्रमांक एफ2 (46) /एनएसएससी/डीडीए/सिविलवर्क/2024-25/2098

दिनांक : 18/05/2024

नीलामी सूचना क्रमांक .01/NSSC/DDA/2024-25

एनएसएससी/डीडीए, जसोला की अनुपयोगी और स्कैप सिविल/बागवानी/इलेक्ट्रिकल वस्तुओं की नीलामी नीचे दी गई तारीख, समय और स्थान के आधार पर आयोजित की जाएगी। सामग्रियों के विवरण का निरीक्षण नेताजी सुभाष स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नीलामी स्थल पर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे के बीच नेताजी सुभाष स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परिसर में किया जा सकता है।

बोली शुरू होने से पहले प्रत्येक बोलीदाता को सीएयू (स्पोर्ट्स) के पक्ष में आरबीआई द्वारा अनुमोदित किसी भी शेड्यूल बैंक के नकद/पे ऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में बयाना राशि के रूप में 10,000/- रुपये (केवल दस हजार रुपये) जमा करना आवश्यक है। ), डीडीए/नेताजी सुभाष स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लेखा शाखा में जमा किया जाना है, जो नीलामी पूरी होने के बाद वापस कर दिया जाएगा, उच्चतम बोली लगाने वाले को छोड़कर, जिसे सुरक्षा जमा को समायोजित करने के बाद प्रस्तावित राशि का 25% (पी.ओ. ऑर्डर/डी.डी.) जमा करना होगा। रुपये का एहतियात के तौर पर 10,000/- रु. शेष राशि 75% (कुल प्रस्तावित राशि का 100% सहित) मांग/स्वीकृति जारी होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर "सीएयू (स्पोर्ट्स), डीडीए" के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/नकद के माध्यम से जमा की जाएगी। पत्र या उसका कोई विस्तार. यदि निर्धारित अवधि के भीतर राशि जमा नहीं की जाती है तो बोलीदाता द्वारा जमा की गई संपूर्ण एहतियाती राशि (प्रस्तावित राशि का 25%) पूरी तरह से जब्त कर ली जाएगी और इस खाते पर किसी भी मंच या अदालत में कोई दावा नहीं किया जाएगा। बोली लगाने वाले को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

आयुक्त (खेल), डीडीए के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी बोलीदाता को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

नीलामी स्थल	:	नेताजी सुभाष स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, डीडीए, जसोला, नई दिल्ली - 25
दिनांक और समय	:	30 मई 2024, सुबह 11.30 बजे
आरक्षित मूल्य	:	रु.2,11,000/- (लागू जीएसटी को छोड़कर)
सुरक्षा जमा (वापसी योग्य)	:	रु.10,000/-

**शर्तें:-**

- विभाग द्वारा कोई टीएंडपी जारी नहीं की जाएगी।
- कार्य अवधि और सामान हटाने के दौरान किसी भी तरह की हानि/क्षति/चोट/दुर्घटना होने पर एजेंसी जिम्मेदार होगी। एजेंसी सचिव (एनएसएससी), आरई (सिविल)/एनएसएससी, ईई (इलेक्ट्रिसिटी) और एडी (हॉर्ट) के आदेश/निर्देशों के अनुसार सामान उठाएगी।
- बोली की वैधता नीलामी की तारीख से 30 दिन होगी।
- एजेंसी की ओर से किसी भी चूक के लिए, आयुक्त (खेल) का निर्णय अंतिम होगा और बोली लगाने वाले पर बाध्यकारी होगा और किसी भी फोरम के समक्ष किसी भी प्रश्न में इसे बुलाया जाएगा।
- एजेंसी/ठेकेदार किसी भी कर देयता के लिए उत्तरदायी होगा।
- लागू होने पर जीएसटी अतिरिक्त लिया जाएगा।
- सामग्री उठाने के लिए अनुमत समय 30 दिन होगा।
- यदि निर्धारित अवधि के भीतर सामग्री नहीं उठाई जाती है तो उच्चतम बोलीदाता द्वारा जमा की गई बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।
- भुगतान का तरीका केवल एफ/ओ "सीएयू (स्पोर्ट्स) डीडीए" में डीडी/डिजिटल भुगतान के माध्यम से होगा।

आर.ई. (सिविल)/एनएसएससी/डीडीए

प्रतिलिपि:-

आयुक्त (खेल) डीडीए: कृपया जानकारी के लिए।

- . वरिष्ठ ए.ओ/सीएयू (खेल) - कृपया जानकारी के लिए।
3. नीलामी समिति के सदस्य - आरई/एनएसएससी, आरई/एसएससी/डीडीए, आई (इलेक्ट.)/एनएसएससी, एडी (बागवानी)/एनएसएससी और एएओ/एनएसएससी।
4. निदेशक (सिस्टम), डीडीए ई-मेल के माध्यम से: ddatender@dda.org.in
5. सभी खेल परिसरों के सचिवों से अनुरोध है कि वे परिसरों के नोटिस बोर्ड पर नीलामी नोटिस लगाने की व्यवस्था करें।
6. आरई/एनएसएससी उपर्युक्त निर्दिष्ट तिथि पर वस्तुओं का उचित प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए।
7. नोटिस बोर्ड/एनएसएससी।

**आरई (सिविल)/एनएसएससी/डीडीए**